

111

न्यायालय श्रीमान समक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

केम्प इन्दौर (म0प्र0)

श्रीमान समक्ष राजस्व मण्डल
न्यायालय इंदौर
24/07/17
36/39/17

PBR/निगरानी/धार/अ.र.ग/2017/4024

अमरलाल पिता हेमाजी जाति सिर्वी,
निवासी- ग्राम कंजरोटा तह. सरदारपुर जिला धार
.....निगरानीकर्ता

बनाम

बाबुलाल पिता रामाजी, जाति सिर्वी
निवासी- ग्राम कंजरोटा तह. सरदारपुर जिला धार
.....विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर
जिला धार के अपील प्रकरण क्रमांक 34/2016-17 में पारित
प्रोसेडिंग एवं आदेश दिनांक 06/09/2017 के विरुद्ध निगरानी

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्ता यह निगरानी विपक्षी के विरुद्ध
निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :-




:- संक्षिप्त तथ्य-:-

1. यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय सरदारपुर के न्यायालय को प्रकरण क्रमांक 84/अ-12/2015-16 आदेश दिनांक 2306/रिडर-1/2016 के द्वारा अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 345/2, रकबा 0.115 का सीमाकन कराया तथा दिनांक 18/05/2016 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी महोदय द्वारा यह उल्लेखित किया गया की आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 345/2 पैकी रकबा 0.059 भूमि पर पडोसी कृषक विपक्षी बाबुलाल पिता रामा एवं

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2017/4024

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> A.R.</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> J. K. Singh A.</p>